जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 24.07.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक– 4363 / M-08 / 180 दिनांक 11/08/2025

जनपद फर्रूखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक दिनांक 24.07.2025 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:–

1. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद। (उपाध्यक्ष)
2. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
3. जिला खनन अधिकारी, फर्रूखाबाद। (आमंत्रित सदस्य)
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रूखाबाद। (सदस्य सचिव)
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद। (आमंत्रित सदस्य)
6. श्री सिद्धार्थ बिसवल, डी0पी0एम0, मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा0लि0,फर्रूखाबाद। (टी0पी0आई0)
7. श्री अशोक शर्मा, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
8. श्री अशोक सिंह, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
9. श्री रवीश कुमार, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
10. श्री अनुराग द्विवेदी, पी0एम0, मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा। (निर्माण एजेन्सी)
11. श्री अभय सिंह, मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा। (निर्माण एजेन्सी)
12. श्री गीता सैनी, मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान, चिनहट, लखनऊ। (टीम लीडर)
13. श्री शाहिद हुसैन, आई0एस0ए0 कोआर्डिनेटर । (डी0पी0एम0यू0)

1. बैठक के आरम्भ में सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0, जल निगम(ग्रामीण), फर्रूखाबाद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–2 एवं फेज–3 में कराये जा रहे समस्त कार्यो की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। जिसमें मै0 जी0वी0पी0आर0 की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही निर्माण कार्यो को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। दोनों एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यो की प्रगति का विवरण निम्नवत् है–

फर्म का नाम	कम्पोनेंटस	लक्ष्य	प्रगति
मै0 जी0वी0पी0 आर0	आर0सी0सी0 टैंक	27	21
	जिंक एलम टैंक	200	26
	पेयजल आपूर्ति	227	159
	हर घर जल प्रमाणीकरण	399 रा0ग्रा0	57
	गृह संयोजन	116732	105785
फर्म का नाम	**कम्पोनेंटस**	**लक्ष्य**	**प्रगति**
मै0 वी0टी0एल0 गजा	आर0सी0सी0 टैंक	154	116
	पेयजल आपूर्ति	151	78
	हर घर जल प्रमाणीकरण	316 रा0ग्रा0	92
	गृह संयोजन	81751	75688

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा तथा श्री अभय सिंह को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी गई समस्त सड़को को शत्–प्रतिशत रोड–रेस्टोरेशन पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जिससे वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके तथा ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने जैसी स्थिति में एजेंसी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही (एफ0आई0आर0 दर्ज) करा दी जायेगी।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 के अधीनस्थ 03 नग सबलेट एजेंसी क्रमशः मै0 वी0वी0आई0पी0, मै0 एस0एस0जी0 एवं मै0 क्रम0 की प्रगति का विवरण सेक्शनवार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किय गया ।

Scanned with OKEN Scanner

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पी0पी0टी0 में वर्तमान प्रगति के साथ–साथ पिछली बैठक में दर्शायी गयी प्रगति की भी एक अलग कॉलम को जोड़ने हेतु सुनिश्चित करें।
5. मै0 जी0वी0पी0आर0 की धीमी प्रगति हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को मुख्यालय स्तर पर पत्र जारी कराने हेतु निर्देशित किया गया।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये दोनो एजेंसियों क्रमशः मै0 जी0वी0पी0आर0 एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा को निर्देशित किया गया कि दिये गये घरो के बाहर गृहसंयोजनों को प्रत्येक दशा में घर के अन्दर करना सुनिश्चित करें। जिससे ग्रामवासियों को लाभन्वित किया जा सके।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक शर्मा एवं श्री अनुराग द्विवेदी को यह निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामवासियों द्वारा गृहसंयोजन घर के बाहर लिये जा रहे है, की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) से पूँछा गया कि मा0 जनप्रतिनिधीगणों को जल जीवन मिशन के कार्यो की प्रगति की सूची/पी0पी0टी0 उपलब्ध करा दी गई है या नही पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा समस्त जनप्रतिनिधिगणों को व्यक्तिगत मिलकर सूची एवं पी0पी0टी0 उपलब्ध करा दी गई है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि पुनः पत्र के माध्यम से सूची एवं पी0पी0टी0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा योजना भ्रमण हेतु मा0 जनप्रतिनिधीगणों से समय निर्धारित करने हेतु अनुरोध करें।
9. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) से बाबा निबकरोरी पेयजल योजना बाधित होने का कारण पूँछा जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में नलकूल फेल होने के कारण जलापूर्ति बन्द है जिसको जल्द से जल्द रीबोर कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में जिंक एलम टैंक क्षतिग्रस्त होने की घटना के संबंध में शासन द्वारा की गई जाँच व निर्णय के संबंध में जानकारी चाही गयी तद्क्रम में अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया अंतिरिम जाँच में Failure जिंक एलम शीट एवं आउटलेट पाइप के ज्यांइट पर हुआ। ढही टंकी की सबसे निचली सीट में पाया गया की 0.8 mm मोटाई की दोनो शीटों का यदि Fusion किया गया होता तो दोनो शीट Monolithic होकर वांछित 2x0.8=1.6 mm Thickness की Strength प्रदान करती एवं प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ट, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यस्थल से एकत्रित सामाग्रियों के नमूनों की जाँच आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा की जा रही है एवं अंतिम आख्या प्रेषित किया जाना अभी तक शेष है।
11. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि जनपद में पुरानी योजनाओं संचालन एवं रख–रखाव हेतु शासन द्वारा नामित एजेंसी मे0 हेतवी कन्ट्रक्शन द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध, (ग्राम प्रधान एवं कार्यरत एजेंसी, अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के बीच) गठन की कार्यवाही की जानी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से प्रधान एवं सचिव को त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन हेतु निर्देशित करें।
12. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुछ पेयजल योजनाओं के कैम्पस में मिट्टी भराव की आवश्यकता है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिस गाटा संख्या एवं स्थान से मिट्टी उठाई जा सकती है कि सूची अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।
13. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में कार्यरत आई0एस0ए0 मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान की टीम लीडर श्रीमती गीता सैनी को निर्देश दिये गये कि जनपद में उनकी टीम के द्वारा कराई जा रही जन–जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ग्रामवासियों को घर के अन्दर कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित करने के साथ दूषित पानी से होने वाली गम्भीर बीमारियों से अवगत कराये तथा पानी को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
14. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत आई0एस0ए0 एजेंसी मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मै0 सर्वार्थ सेवा संस्था चिनहट, लखनऊ द्वारा जनपद में करायी गई जन जागरूक गतिविधियों के 02 नग बीजक क्लस्टर A6 एवं A8 के इम्पलीमेंटेशन फेज (द्वितीय फेज) को पत्रांक मेमो/S.S.S/Bill/A-07/II Phase/2024-25 दिनांक 31.01.2025 के अन्तर्गत रू0 1336500.00 एवं पत्रांक मेमो/S.S.S/Bill/A-05/II Phase/2024-25 दिनांक 23.09.2024 के अन्तर्गत रू0 1893375.00 का कार्य कर प्रेषित किया गया है। जिसको तत्समय ही जनपद हेतु नामित डी0पी0एम0यू0 को सत्यापन हेतु भेज दिया गया था उक्त क्लस्टर संख्या A6 एवं A8 के बीजको एवं अभिलेखों के अन्तर्गत जन जागरूक गतिविधियों का सत्यापन उपलब्ध कराये गये अभिलेखों (फोटोग्राफ एवम्

Scanned with OKEN Scanner

वीडियों) एवं रेंण्डम साइट बिजिट द्वारा डी0पी0ए0यू0 के पत्रांक MTCPL/SWSM/DPMU/2025-26/18918 दिनांक 29.05.2025 को परीक्षणोपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति सहित खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्लस्टर संख्या A6 के बीजको का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी कायमगंज के पत्रांक 435/व0सहा0/जल जीवन मिशन–सत्यापन/2025 दिनांक 22.04.2025, खण्ड विकास अधिकारी शमसाबाद के पत्रांक 294/व0सहा0/जल जीवन मिशन–सत्यापन/2025 दिनांक 21.04.2025 एवं क्लस्टर संख्या A8 के बीजको का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर के पत्रांक 1213/व0सहा0/जल जीवन मिशन–सत्यान/2025 दिनांक 15.04.2025, खण्ड विकास अधिकारी कायमगंज के पत्रांक 157/व0सहा0/जल जीवन मिशन–सत्यापन/2025 दिनांक 22.04.2025 एवं खण्ड विकास अधिकारी शमसाबाद के पत्रांक 295/व0सहा0/जल जीवन मिशन–सत्यापन/2025 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि आई0एस0ए0 की गतिविधियों का ग्रामवासियों में प्रचार प्रसार कराया जाये और उनमें ब्लाक स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित रैंडम अधार पर स्वयं भी प्रतिभाग करें। अवगत कराना है कि **शासनादेश सं–65/2022/3396/छियत्तर–1–2022–03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, शासनादेश के बिन्दु सं0 2(iv) में निर्देश है कि "अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई0एस0ए0 की आर0एफ0पी0 के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों के अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी"** । जिस पर समिति द्वारा गतिविधियों का अवलोकन कर सर्व सहमति से सत्यापन किया गया जिसके फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापन पर अनुमोदन प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
6. मै0 मेधज टैक्नो कोन्सेप्ट, डी0पी0एम0यू0, फर्रुखाबाद।
7. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा0लि0 टी0पी0आई0, फर्रुखाबाद।
8. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
9. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 जे0वी0, नोएडा।
10. मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान, चिनहट, लखनऊ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

Scanned with OKEN Scanner